



Neutral Citation No. - 2026:AHC:7485

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 24933 वर्ष 2025

विकास

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता	: राहुल सिंह तोमर, योगेन्द्र पाल सिंह
विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता	: जी.ए., मोहित कुमार बैसला

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है। आज दाखिल पूरक शपथपत्र एवं प्रत्युत्तर शपथपत्र अभिलेख पर लिए जाते हैं।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव तिवारी की ओर से उपस्थित श्री अनुराग दुबे, अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.शा.अधि. श्री सुनील कुमार को सुना गया एवं अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक विचारण के लंबित रहने की अवधि में मामला अपराध संख्या 149वर्ष 2025, धारा 103(1) भा.न्या.स., थाना कोतवाली, जिला बस्ती में जमानत चाहती है।
4. अभियोजन कथानक के अनुसार, सूचनाकर्ता की बहन सह-अभियुक्त नोहर चौधरी के साथ लिव-इन पार्टनर के रूप में रहने लगी और इस कृत्य से क्षुब्ध होकर आवेदक, जो सह-अभियुक्त नोहर चौधरी की पुत्री है, तथा उसकी माता विद्यावती @ संतोला ने षड्यंत्र रचकर 25.04.2025 को सूचनाकर्ता की बहन की हत्या कारित की।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा उसे इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपराध का कोई समय अंकित न



होने के कारण वह विलंब से दर्ज की गई है। शव अस्पताल में मिला था, जहाँ शव को केवल आवेदक के पिता नोहर चौधरी ही ले गए थे। आवेदक एक विवाहिता महिला है, अतः घर में उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं थी। किसी भी सम्पत्ति के बँटवारे से उसका कोई सरोकार नहीं था।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि यह सत्य है कि तत्पश्चात आवेदक की अन्य बहन पूजा को सम्मिलित किया गया है तथा उसने यह कहा बताया जाता है कि आवेदक ने विद्यावती @ संतोला और नोहर चौधरी के साथ मिलकर उक्त अपराध कारित करने का षड्यंत्र रचा था, परंतु उक्त आरोप असत्य हैं। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 25.04.2025 से जेल में बंद है और वह विचारण में सहयोग करने को तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी।
7. विद्वान ए.शा.अधि. ने इस आधार पर जमानत आवेदन का घोर विरोध किया कि यद्यपि आवेदक विवाहिता महिला थी, परंतु उसकी सगी बहन उसके विरुद्ध बयान दे रही है, अतः वह जमानत की हकदार नहीं है।
8. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए निवेदनों तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करते हुए एवं इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि आवेदक एक विवाहिता महिला है तथा परिवार के अन्य सदस्यों से अलग रहती है, तथा मामले के गुणावगुण पर कोई मत व्यक्त किए बिना, न्यायालय का प्रथमदृष्टया यह मत है कि आवेदक ने जमानत का मामला बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
9. आवेदक **लक्ष्मी**, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका तथा उसी राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतों का सत्यापन किया जाए।
 - (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी।
 - (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों को दबाएगी/डराएगी नहीं।
 - (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी।
10. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।



11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

12 जनवरी 2026

(रवि कांत)

Translated Version. Not for Legal Use.